निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट
असाधारण अंक
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

17 आषाढ़ 1943 (श0)
(सं0 पटना 592) पटना, बृहस्पतिवार, 8 जुलाई 2021

सामान्य प्रशासन विभाग

आदेश
5 जुलाई 2021

lE 08@vkjki&01&20@2019&6567@lkEiE—श्री शशि भूषण सिंह, बि०प्र०से०, कोटि क्रमांक–692/08, तत्कालीन बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, महिषी के विरूद्ध रोकड़ पंजी का संधारण नहीं करने/स्थानान्तरण के बावजूद भूतलक्षी प्रभाव से आंगनबाड़ी सेविका एवं सहायिका की नियुक्ति करने/सरकार के नियमों, विभागीय अनुदेशों एवं अपने उच्च पदाधिकारियों के आदेशों का उल्लंघन करने एवं वित्तीय गबन से संबंधित आरोप के लिए संकल्प ज्ञापांक–4722 दिनांक 11.07.2003 द्वारा विभागीय कार्यवाही प्रारम्भ की गयी तथा आरोपों को प्रमाणित पाते हुए संकल्प ज्ञापांक–2265 दिनांक 25.03.2009 द्वारा श्री सिंह को अनिवार्य सेवानिवृत्ति का दंड संसूचित किया गया। दंडादेश के विरूद्ध श्री सिंह द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में सी०डब्ल्यू०जे०सी०सं०–11868/2012 दायर किया गया, जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 26.04.2019 को पारित आदेश के आलोक में दंडादेश वापस लेते हुए श्री सिंह के विरूद्ध आरोपों की पुनः नये सिरे से जाँच हेतु संचालन पदाधिकारी की नियुक्ति संकल्प ज्ञापांक–9135 दिनांक 09.07.2019 द्वारा की गयी।

विषयगत विभागीय कार्यवाही सम्प्रति प्रक्रियाधीन है तथा श्री सिंह की वार्ध्यक्य सेवानिवृत्ति की तिथि 30.09.2018 को ही व्यतीत हो चुकी है। अतएव विभागीय पत्रांक–1893 दिनांक 14.06.2011 द्वारा निर्गत निर्देशों के आलोक में उक्त विभागीय कार्यवाही बिहार पेंशन नियमावली के नियम–43 (बी०) के तहत स्वतः सम्परिवर्तित मानी जायेगी।

vkns'k& vkns'k fn;k tkrk gS fd bl ladYi dh izfr fcgkj jkti= ds vxys vad esa izdkf'kr fd;k tk; rFkk bldh izfr lHkh lacaf/kr dks Hkst nh tk;A

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
ek0 fljktqÌhu vUlkjh]
सरकार के अवर सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 592-571+10-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in